

कार्यालय अधिष्ठाता

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)- 490024

(पूर्व नाम- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग, छ.ग.)

क्रमांक/FINACC-38/606/2026-PURCHASE SECTION

दुर्ग, दिनांक / /2026

// कोटेशन सूचना //

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग में छात्रों के परिवहन हेतु उपयोग होने वाले स्कूल बस (Make- Eicher Bus, Model- 2075 H Srl Scl BSVI 3x2 Lx Faps, EngineN No.- E446CDTF146217) में सी.सी.टी.व्ही. स्थापना संबंधी कार्य किया जाना है। इस हेतु इच्छुक फर्मों से बंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित की जाती है । कोटेशन में दिये जाने वाले सामग्री का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है :-

No.	Item Name	Rate Each Unit (Taxes Included)	Total Rs.
01			
02			
03			

नियम एवं शर्तें :-

01. प्राक्कलन के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक मान्य रहेगी ।
02. कार्यालयीन (समय:- प्रातः 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक) समय में संबंधित वाहन का अवलोकन किया जा सकता है ।
03. प्राक्कलन के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें ।
04. आवेदित/चयनित फर्म के राज्य शासन या उसके किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा फर्म को काली सूची (Black Listed) में होने की जानकारी की दशा में ऐसे फर्म का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
05. समस्त क्रय की प्रक्रिया छ.ग.भण्डार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भण्डार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे ।
06. अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुहरबंद लिफाफे में वेबसाईट में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं किये जावेंगे ।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)